



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-274016
CG-DL-E-02072026-274016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3273]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/आषाढ 4, 1948

No. 3273]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3407(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 381 (अ) दिनांक 28 जनवरी, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 381 (अ) दिनांक 28 जनवरी, 2022 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले			संशोधित		
	जगह	मामले का विवरण				
1	क्रमांक 1, स्तंभ 7	तालुक का नाम	गांव का नाम		तालुक का नाम	गांव का नाम
		हरैया	43	कलानी कला	हरैया	43 कलानी खुर्द

फुटनोट:- मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 381 (अ), दिनांक 28 जनवरी, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3407(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 381(E), dated 28th January, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 381(E), dated 28th January, 2022 namely:

Details of amendment required are as under-

Sl. No.	Matter in principal notification that requires amendment				Matter to be amended as		
	Location	Details of matter					
1	Serial No. 1, Column 7	Name of Taluk	Name of Village		Name of Taluk	Name of Village	
		Harraiya	43	Kalani Kala	Harraiya	43	Kalani Khurd

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 381(E), Dated 28th January, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22]

SHAIKH AMINKHAN, Director